



# साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

साधारण परिषद चतुर्थ बैठक दिनांक 21.12.2021

## कार्यवाही विवरण

साधारण परिषद की बैठक दिनांक 21-12-2021 को माननीय संस्कृति मंत्री महोदया सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में कक्ष क्रमांक 326, तृतीय तल, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल में सायंकाल 5:30 बजे आहूत हुई।

माननीय कुलपति साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव साधारण परिषद द्वारा उपस्थित सदस्यों का अभिवादन किया गया। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

- सुश्री उषा ठाकुर (मंत्री, म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग) - सदस्य/नामित अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री
- सचिव (म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग) - सदस्य
- प्रतिनिधि सचिव (म.प्र. शासन, वित्त विभाग) - सदस्य
- प्रो. वानगचुक दोरजी नेगी (कुलपति, केन्द्रीय तिष्ठती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ) - सदस्य
- प्रो. वैद्यनाथ लाभ, (कुलपति, नव नालंदा महाबिहार विश्वविद्यालय) - सदस्य
- श्री कपिल तिवारी - सदस्य
- श्री अभय कात्यायन - सदस्य
- श्री उमेश उपाध्याय - सदस्य
- प्रो. करम तेज सिंह सराव, - सदस्य
- डॉ नीरजा ए गुप्ता, कुलपति, साँचौभाजा.अ.वि.वि. - सदस्य सचिव

सदस्य सचिव महोदया द्वारा एजेण्डा बिंदुओं को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया तदानुसार एजेण्डा बिंदुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

एजेण्डा 1 साधारण परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 20.07.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय - परिषद द्वारा पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा 2 साधारण परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2018 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

निर्णय - समिति सदस्यों द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा सहमति व्यक्त की गई।

**एजेण्डा 3.** साधारण परिषद की पूर्व बैठक पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा की गई गतिविधियों से साधारण परिषद को अवगत कराया जाना।

**निर्णय** परिषद विश्वविद्यालय गतिविधियों से अवगत हुई तथा निमानुसार निर्णय लिये गये -

एजेण्डा क्रमांक	विवरण	पारित निर्णय
3.1	<p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) नई दिल्ली ने साँची विश्वविद्यालय को धारा 12-बी के अंतर्गत मान्यता प्रदान की।</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.9-16/2015(CPP-I/PU) दिनांक 02 मार्च, 2021 के द्वारा साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को 12-बी की मान्यता प्रदान की गयी। यद्यपि मान्यता उपरांत अनुदान का प्रश्न लंबित हैं।</p>	परिषद द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.2	<p>साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को अकादमिक गतिविधियों हेतु पूर्व में संचालित कार्यालय, ग्राम बारला से स्थानांतरित कर दिनांक 15/06/2021 को नवीन परिसर एम.पी.टी. गेटवे रिट्रीट कैम्पस, साँची, जिला रायसेन, म.प्र. में स्थानांतरित किया गया।</p>	परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।
3.3	<p>साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का मुल्ला रमूजी बाणगंगा, भोपाल स्थित कार्यालय में साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का कार्यालय संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का कैंप कार्यालय ई-1/141, अरेरा कॉलोनी, कुलपति आवास, भोपाल से संचालित किया जा रहा हैं।</p>	परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।
3.4	<p>साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु डॉ. नीरजा ए. गुप्ता द्वारा कुलपति एवं प्रो. अलकेश चतुर्वेदी की सेवाएं कुलसचिव के रूप में प्राप्त हुई। दोनों ही अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर विश्वविद्यालय उन्नयन हेतु प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। वित्त अधिकारी के रूप में श्री राजेश गुप्ता ने भी कार्यभार ग्रहण कर कार्य प्रारंभ कर दिया है।</p>	परिषद जानकारी से अवगत हुई।
3.5	<p>साँची विश्वविद्यालय के वित्तीय संसाधनों में आंशिक वृद्धि के प्रावधान किये गये हैं जिनमें:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• साँची विश्वविद्यालय के बारला स्थित परिसर परिवर्तित किया गया।</li> <li>• अकादमिक सत्र 2021-22 में पीएच.डी. के प्रवेश नियमों में परिवर्तन किया गया।</li> <li>• सत्र 2021-22 में विद्यार्थीयों से प्राप्त होने वाले शुल्क का पुनः निर्धारण किया गया।</li> <li>• साँची विश्वविद्यालय में दूरस्थ केन्द्र पर प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की गयी।</li> </ul> <p>उपरोक्त बिन्दुओं के पालन से विश्वविद्यालय के संसाधनों में वृद्धि की गई। जिसका उपयोग विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के एरियर, सातवें वेतनमान के भुगतान एवं कर्मचारी कल्याण के रूप में किया जा रहा है।</p>	परिषद जानकारी से अवगत हुई।

3.6	शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान का लाभ दिया गया। कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता एवं नवीन पेंशन योजना का लाभ भी दिया गया। कर्मचारियों के ग्रेचुटी संबंधी कार्यवाही भी की जा रही है।	सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रदाय वेतनमान, भत्तों, परिवहन भत्तों एवं नवीन पेंशन अंशदायी योजना का लाभ दिया जा रहा है तथा ग्रेचुटी का लाभ आगामी माह से प्रदायकिया जावेगा। परिषद जानकारी से अवगत हुई।
3.7	साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के निरंतर विकास में विश्वविद्यालय का दूरस्थ अध्ययन केंद्र खजुराहो में खोला गया है। राजा जसवंत सिंह समाज कल्याण समिति, खजुराहो, जिला छतरपुर के साथ हुए एम.ओ.यू. में संस्था द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में संबद्ध अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। संबंधित संस्था द्वारा उक्त केन्द्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा एवं पोस्ट ग्रेज्युएट, स्कीलबेस डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये।	परिषद जानकारी से अवगत हुई।
3.8	साँची विश्वविद्यालय को सलामतपुर में आवंटित भूमि पर लैण्ड स्कैपिंग एवं सौन्दर्यकरण कार्य हेतु सी.एस.आर. फंड से कार्य कराने हेतु एम.ओ.यू. प्रक्रिया प्रचलित की गई है तथा विश्वविद्यालय के समस्त आहरण केनरा बैंक के माध्यम से किये जावेंगे।	परिषद जानकारी से अवगत हुई।
3.9	विश्वविद्यालय द्वारा भारत शोध संस्थान, भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल आदि विभिन्न शिक्षण एवं अन्य संस्थानों से MoU's संपादित किये गये। जिसके अंतर्गत अन्य संस्थानों के पाठ्यक्रमों का लाभ विद्यार्थियों को मिल सके।	परिषद जानकारी से अवगत हुई।
3.10	पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) मानकों के आधार पर संशोधन किया गया।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) मानकों के आधार पर पीएच डी पाठ्यक्रम में प्रवेश का निर्णय लिया गया।
3.11	विश्वविद्यालय द्वारा ईटर्न की सेवाएं पारिश्रमिक के साथ प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया।	परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।
3.12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना के अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पूर्व स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की गई।	परिषद द्वारा शैक्षणिक विभागों में पूर्व स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर स्वीकृति प्रदाय की गई।
3.13	विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि पर निर्माण से सम्बन्धित अद्यतन स्थिति की जानकारी।	परिषद जानकारी से अवगत हुई।
3.14	<p>साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में नए Short Term and One Semester अवधि के कोर्सेज C.B.C.S. पद्धति के अंतर्गत प्रारंभ किये गये। विवरण निम्नांकित है :-</p> <p>विश्वविद्यालय द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत में निम्नांकित कार्यवाही की गयी-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अकदमिक सत्र 2021-22 में प्रवेश प्रक्रिया की गयी।</li> <li>• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सेमेस्टर व्यवस्था लागू की गयी।</li> <li>• 02 वर्षीय समन्वित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम M.Lib.I.Sc.: Master of Library &amp; Information Science (Integrated) आरम्भ किया गया।</li> <li>• C.B.C.S. आधारित 32 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये।</li> <li>• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम लागू किये गये।</li> </ul>	परिषद जानकारी से सहमत हुई।

**एजेण्डा 04:** विश्वविद्यालय के संचालन हेतु आवंटित वार्षिक अनुदान में बृद्धि किये जाने पर विचार।

**निर्णय** परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु आवंटित बजट राशि से गतिविधियों संचालित करने हेतु सहमति दी गई तथा विश्वविद्यालय के संचालन में अतिरिक्त बजट राशि की आवश्यकता होती है तो तदानुसार प्रस्ताव शासन को भेजकर अनुपूरक बजट में प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा 05:** विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के गठन हेतु साधारण परिषद् के सदस्यों में से तीन सदस्यों का नामांकन।

**निर्णय** समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्न तीन सदस्यों का नामांकन विश्वविद्यालय कार्य परिषद् हेतु नामनिर्देशित किया गया –

1. प्रो. वैद्यनाथ लाभ, नालंदा, कुलपति नालंदा नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय
2. श्री कपिल तिवारी, भोपाल
3. श्री उमेश उपाध्याय, नई दिल्ली

**एजेण्डा 06:** विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु कार्पस फण्ड की आवश्यकता।

**निर्णय** विश्वविद्यालय की पूर्व परिषद की बैठक में कार्पस फण्ड निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया था किंतु वर्तमान में बैंकिंग ब्याज दर अत्यंत न्यून होने से कार्पस फण्ड के स्थान पर विश्वविद्यालय के हित को दृष्टिगत रखते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के आधार पर शासन से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करें।

**एजेण्डा 07:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय में शोध आधारित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ कर **ICT/Research Lab** स्थापित करना एवं विश्वविद्यालय परिषद के सदस्यों, शैक्षणिक स्टॉफ/अधिकारियों को **ICT** सुविधा उपलब्ध करवाने पर विचार।

**निर्णय** परिषद द्वारा **ICT/Research Lab** स्थापित करने पर स्वीकृति व्यक्त की गई।

**एजेण्डा 08:** अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की दशा में प्रथमतः तीन देशों को लक्षित कर शोध पीठ बनाने पर विचार – श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया

**निर्णय** परिषद द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर आवश्यकतानुसार शासन से बजट प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

**एजेण्डा 09:** "बौद्धिक" पीठ की नवरचना हेतु राशि रु. 1.50 करोड़ स्वीकृत करने पर विचार।

**निर्णय** परिषद द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर आवश्यकतानुसार शासन से बजट आवंटन प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

**एजेण्डा 10:** आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों का वित्तीय भार लगभग राशि रु. 45.00 लाख स्वीकृत करने पर विचार।

**निर्णय** परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा व्यय विश्वविद्यालय को उपलब्ध संसाधनों से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

**एजेण्डा 11:** Out of print अप्राप्य एवं दुर्लभ 18वी/19वी सदी की पुस्तकों के पुनः मुद्रण हेतु राशि लगभग रु. 75.00 लाख की स्वीकृति पर विचार।

**निर्णय** परिषद द्वारा डिजिटलाइजेशन करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा पुस्तकों के प्रकाशन हेतु विषय विशेषज्ञों की समिति गठित कर प्रतिलिपियों का प्रकाशन कराये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा 12:** विश्वविद्यालय में In house वीडियो रिकार्डिंग स्टूडियो-कम-लैब स्थापित करने पर विचार एवं इस हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने पर विचार।

**निर्णय** परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।

**एजेण्डा 13:** विश्वविद्यालय द्वारा 02 अंतर्राष्ट्रीय एवं 03 राष्ट्रीय संगोष्ठी एक वर्ष में किये जाने की अनुमति एवं इस हेतु बजट प्रावधान पर विचार।

**निर्णय** परिषद द्वारा 02 अंतर्राष्ट्रीय एवं 03 राष्ट्रीय संगोष्ठी एक वर्ष में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा उपलब्ध संसाधनों से पूर्ति किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

**एजेण्डा 14:** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर विचार।

परिषद सदस्यों द्वारा निम्न बिंदुओं पर भी ध्यानाकर्षण किया गया जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई।


- Executive Courses तैयार कर प्रारंभ किये जावें ताकि विश्वविद्यालय के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हो।
- प्राच्य विद्या आधारित फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किये जावें।
- सोशल मीडिया लैब के माध्यम से संस्कृत को एलगोरिथम से जोड़कर आज के परिपेक्ष्य में अध्ययन/अध्यापन कार्य की व्यवस्था किया जावें।
- विश्वविद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम की गुणवत्ता उन्नयन के लिये स्वीकृत अकादमिक संरचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि वैदिक जीवन के वैज्ञानिक आधार के कार्यों को साँची विश्वविद्यालय आगे बढ़ाये एवं शोध कार्य करें।


भारतीय संस्कृति में मौजूद विभिन्न विशेषताओं को आगे बढ़ाने एवं भारतीय संस्कृति के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास सांची विश्वविद्यालय द्वारा किया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा कुलपति के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय अपने स्थापना उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य करेगा ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया तथा विश्वविद्यालय के विकास हेतु यथोचित संसाधन शासन की ओर से प्रदाय किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन से बैठक सम्पन्न हुई।



डॉ. नीरजा ए गुप्ता  
सदस्य सचिव  
साधारण परिषद  
साँची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

  
सुश्री उषा ठाकुर

मंत्री मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग  
सदस्य, साधारण परिषद  
साँची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

